



20/01/15 - 20/5/01

00/2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	काली
30.3.22	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रैस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। तब अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली करते बलबी रिफाई दिनांक 26.5.22 को पेश ली।</p>	
24.5.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रैस्पों.उपस्थित पीठारक्षक अधिकारी महोदय आज... (24/05/22) पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 26.7.22 को पेश हो।</p>	
26.7.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रैस्पों.उपस्थित पीठारक्षक अधिकारी महोदय आज... 26.7.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28.9.22 को पेश हो।</p>	
8.9.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रैस्पों.उपस्थित पीठारक्षक अधिकारी महोदय आज... 8.9.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28.9.22 को पेश हो।</p>	
28.9.22	<p>पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p>	 <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प जुन्जुनू)</p>